सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा.सं.राभा-4(3)/2025-26 दिनांक: 05.05.2026

सेवा में,
नौवहन महानिदेशालय के सभी अधिकारी एवं सभी अनुभाग (ई-मेल के माध्यम से)
नौवहन महानिदेशालय के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी (ई-मेल के माध्यम से)

विषय : राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

नौवहन महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.04.2026 को 03.00 बजे अपराह्न को माइक्रोसॉफ्ट टीम मीडिया के माध्यम से आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विस्तृत समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की संलग्न प्रति भिजवाई जा रही है। बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई करें एवं की गई कार्रवाई की सूचना यथाशीघ्र hindi-dgs@nic.in ई-मेल के माध्यम से राजभाषा अनुभाग को भिजवा दें।

भवदीय,

(डॉ. सुधीर एस कोहकडे)
उप नौवहन महानिदेशक (राभा)

संलग्नक : यथोक्त

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार, मुंबई में दिनांक 22.04.2026 बुधवार 03.00 बजे अपराह्न को सम्पन्न हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

नौवहन महानिदेशालय में संघ की राजभाषा नीति से संबंधित 31.12.2025 को समाप्त तिमाही संबंधी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 22.04.2026 बुधवार 03.00 बजे अपराह्न को नौवहन महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में माइक्रोसॉफ्ट टीम मीडिया के माध्यम से वर्चुअल/आभासी रूप में संपन्न हुई। भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

1. **तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजा जाना:**

नौमनि के विभिन्न अनुभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से तिमाही रिपोर्टों की प्राप्ति में विलंब होने के कारण तिमाही रिपोर्टों के संकलन और तत्पश्चात मंत्रालय को रिपोर्ट भिजवाने में विलंब हो जाता है, अतएव इस संबंध में नौवहन महानिदेशक महोदय ने एक ई-मॉड्यूल तैयार करने का आदेश दिया जिससे नौमनि के सभी अनुभागों एवं अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों द्वारा तिमाही के आंकड़ों को डिजिटल रूप से भरा जा सके एवं रिपोर्ट प्राप्ति में विलंब न हो।

(कार्रवाई: आईटी एवं ई-गवर्नेंस, नौमनि)

2. **राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागज़ात:**

तिमाही रिपोर्ट में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार धारा 3(3) से संबंधित अनुपालन पर संतोष जताते हुए कहा गया कि द्विभाषिक सामग्री का समुचित रिकॉर्ड रखा जाए ताकि निरीक्षण के समय सत्यापित किया जा सके और इस द्विभाषिक सामग्री को संबंधित हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी द्वारा यथासमय वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्रवाई: निदेशालय एवं अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी)

3. **हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना:**

तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान राजभाषा नियम, 05 के अनुपालन पर संतोष जताया गया और सभी अधिकारियों से इस बात पर विशेष ध्यान देने हेतु कहा कि राजभाषा नियम 5 के अंतर्गत प्राप्त हिंदी पत्रों के उत्तर राजभाषा नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनिवार्यत: हिंदी में ही दिए जाएं और इस संबंध में समुचित रिकॉर्ड रखा जाए जिससे कि राजभाषा नियम 5 का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित हो सके और निरीक्षण के समय इनका यथोचित रूप से सत्यापन हो सके।

(कार्रवाई: निदेशालय एवं अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी)

4. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना (क और ख क्षेत्र):

संघ की राजभाषा नीति के अनुसरण में अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अधिकाधिक हिंदी में दिए जाने और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु राजभाषा के नियमानुसार एवं संसदीय राजभाषा समिति के निदेशानुसार अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर मूल रूप से हिंदी में दिए जाएं। पत्रों पर हिंदी की कवरिंग न लगाएं। कवरिंग लगे हुए पत्रों को हिंदी की पत्रों में गणना नहीं की जाएगी।

(कार्रवाई: निदेशालय एवं अधीनस्थ/संबंद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी)

5. भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा:

वार्षिक कार्यक्रम में तय किए गए लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए मूल पत्राचार संबंधी समीक्षा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि मूल पत्राचार यथासंभव हिंदी में ही किया जाए तथा प्रयास रहे कि संघ की राजभाषा नीति के प्रावधानों के अनुसार अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में ही किया जाए और राजभाषा विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम किया जाए। जिन कार्यालयों और अनुभागों का प्रतिशत कम है पाएं उन्हें पत्र लिखकर सूचित करें और मूल पत्र को हिंदी में अधिक से अधिक लिखने को प्रोत्साहित करें।

(कार्रवाई: निदेशालय एवं अधीनस्थ/संबंद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी)

6. फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी:

वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रवार लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयी टिप्पणियां हिंदी में लिखे जाने को बढ़ावा देने की दिशा में नौमनि के समस्त कंप्यूटरों को यूनिकोड सक्षम बनाया गया जिनके माध्यम से हिंदी में कार्य किया जाना आसान है और यदि किसी को हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो उसके लिए कंप्यूटर पर फोनेटिक टाइपराइटिंग के अंग्रेजी की बोर्ड के माध्यम से ही हिंदी टाइप करने की सुविधा उपलब्ध है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार टिप्पणियों के प्रतिशत का लक्ष्य 55% है। इस लक्ष्य को दृष्टिगत रख कर कार्य किया जाए।

(कार्रवाई: निदेशालय एवं अधीनस्थ/संबंद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी)

7. राजभाषा अनुभाग के पदों का भरा जाना:

निदेशालय तथा निदेशालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पड़े कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के पदों को भरे जाने संबंधी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में नौमनि महोदय ने आदेश दिया कि निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवादकों के रिक्त पड़े पदों संबंधी आकड़े लिए जाएं और तदनुसार पदों को भरने हेतु कार्रवाई किया जाय।

(कार्रवाई: उप नौवहन महानिदेशक (प्रशासन)

कोई अन्य मद न होने के कारण अपर नौमनि महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई।

अनुलग्नक –I

नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार, मुंबई में दिनांक 22.04.2026 सोमवार 03.00 बजे अपराह्न को सम्पन्न हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूचीः-

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय का नाम	
1.	श्री श्याम जगन्नाथन, भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव,भारत सरकार	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	अध्यक्ष
2.	सी.एन. सोलंकी, अवर श्रेणी लिपिक	क्षेत्रीय कार्यालय, जामनगर	सदस्य
3.	हितेश बलिया, सहायक,	समुद्री वाणिज्य विभाग, जामनगर	सदस्य
4.	गोपालकुमार मूलपरम्बिल अरविंदाक्षमेनन		सदस्य
5.	आतिश कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई	सदस्य
6.	पी. एल मुथू, सहायक नौवहन महानिदेशक	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	सदस्य
7.	मनीष सिंह	समुद्री वाणिज्य विभाग कांडला	सदस्य
8.	आर. मुरुगेसन, प्रवर श्रेणी लिपिक	समुद्री वाणिज्य विभाग, चेन्नई	सदस्य
9.	श्री बोधराज, प्रभारी सर्वेक्षक	समुद्री वाणिज्य विभाग, मैंगलोर	सदस्य
10.	विक्रांत राय, प्रधान अधिकारी	समुद्री वाणिज्य विभाग, कोलकाता	सदस्य
11.	श्रीमती सुजाता यादव, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	सदस्य
12.	श्री संजीव कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	सदस्य
13.	सुश्री तेजस्विनी पवार ,कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	सदस्य
14.	श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी सर्वेक्षक	समुद्री वाणिज्य विभाग, गोवा	सदस्य